POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 11 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 नवम्बर, 2012 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले दिनों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदेशी कम्पनियों को खुदरा व्यापार में 51 फीसदी निवेश को मंजूरी दी है।

यह कोई नई बात नहीं है। देश में पहले से ही कई देशी और विदेशी मल्टी ब्रांड कम्पनियां थोक व खुदरा व्यवसाय में काम कर रही है। लेकिन विधान सभा एवं लोक सभा के आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल इस फैसले पर कई समर्थन तो कोई विरोध जताने में लगे हैं। हर राजनीतिक दल इस फैसले को उपभोक्ताओं के फायदे और नुकसान की नजरों से तोलने के बजाय वोटों के नजरिये से मापने में लगे हैं।

आज विश्व के कई देश विदेशी निवेश को अपनी ओर खींचने में लगे हैं। उनका मानना है कि खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी आने से जहां राजकोष को फायदा होगा वहीं यह आम उपभोक्ताओं, किसानों व खेती-बाड़ी के लिए फायदेमन्द साबित होगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की कीमतें कम होंगी। साथ ही उपभोक्ता को वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमतों के आधार पर ज्यादा चयन की सुविधा मिल सकेगी।

किसानों को अपनी उपज सीधे बड़े प्रतिष्ठानों को अच्छे दामों पर बेचने का मौका मिलेगा। निवेश से देश में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे जिससे अनाज, फल सब्जियां आदि के सड़ने-गलने से होने वाले नुकसान में कमी आएगी। विदेशी कम्पनियां अच्छे बीज, खाद व कीटनाशकों की प्राप्ति में भी सहायक होंगी, क्योंकि इसमें उनका लाभ निहित है।

जबकि विरोधियों का मानना है कि इससे खुदरा व्यापार में लगी दुकानें बन्द हो जाएंगी। लोग बेराजगार हो जाएंगे और यह कम्पनियां देश का धन अपने देश में ले जाएंगी। यह ही नहीं बल्कि विदेशी कम्पनियां राजनैतिक क्षेत्रों और सरकार पर भी दबाव बनाएंगी।

आशा की जाती है कि हमारे राजनेता, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सुधार को बढ़ावा देंगे और नीतियों में विदेशी निवेश शर्तों का खयाल रखते हुए एक प्रभावी नियामक नीति बनाने में आगे आएंगे।

आम आदमी की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान जरूरी

अब सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों सहित आम आदमी की समस्याओं को सुनना और सही समाधान करना अफसरों व कर्मचारियों के लिए कानूनी रूप से जरूरी हो गया है। यदि वे तय समय सीमा में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

हर दफ्तर में होगा लोक सुनवाई अधिकारी

सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के हर दफ्तर और विभाग में एक लोक सुनवाई अधिकारी नियुक्त होगा। संतुष्ट नहीं होने पर अपीलीय अधिकारी के पास मामला जाएगा, जो दोनों पक्षों को सुन कर दंड तय करेंगे।

- पूरे प्रदेश में एक अगस्त 2012 से 'राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक 2012' लागू कर दिया गया है।
- विधेयक के तहत शिकायतों की सुनवाई के लिए लोक सुनवाई अधिकारियों के साथ-साथ प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही है।
- अपील अधिकारियों के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हैं। अपीलीय अधिकारी का फैसला अन्तिम होगा। इसलिए इनके फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकेगी।
- आम जन की शिकायतों की सुनवाई और समाधान के लिए प्रदेश भर में सूचना और सुगम केन्द्र खोले जा रहे हैं। इनमें ग्राहक सेवा केन्द्र, कॉल सेंटर, हेल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्रों की भी स्थापना की गई है। लोगों की शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय सीमा में हो, इसके लिए भी कानून में प्रावधान किया गया है।

रिलायंस मार्ट को बिस्किट के ज्यादा दाम वसूलना भारी पड़ा

जोधपुर जिले के प्रतापनगर निवासी कमरअली ने उपभोक्ता जिला मंच में नामी कम्पनी रिलायंस मार्ट के खिलाफ परिवाद दायर किया और बताया कि रिलायंस मार्ट से उन्होंने अन्य जरूरी सामान के साथ एक बिस्किट का पैकेट भी क्रय किया था। कम्पनी ने जिस बिस्किट के पैकेट की कीमत पांच रुपए थी उसके 84 रुपए 58 पैसे वसूल कर लिए। उन्होंने इस बाबत कम्पनी द्वारा की गई गलती की ओर ध्यान भी दिलाया, लेकिन कम्पनी ने अधिक वसूल किए पैसे वापस नहीं लौटाए।

मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता मंच के सामने रिलायंस मार्ट की ओर से अधिक वसूली गई राशि वापस लौटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मंच ने उसे पर्याप्त नहीं माना तथा कम्पनी की इस कार्रवाई को सेवा में कमी माना। मंच ने मामले का निपटारा करते हुए रिलायंस मार्ट को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता कमरअली को 5000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करे।

मनरेगा श्रमिकों को दी हेल्पलाइन की जानकारी

'कट्स' द्वारा संचालित 'सिटीजन्स अप' परियोजना के तहत जयपुर व टोंक जिलों में मनरेगा मजदूरों को व खासतौर पर महिला श्रमिकों को हेल्पलाइन की विस्तृत जानकारियां दी जा रही है। इससे वे अपनी समस्याओं को हेल्पलाइन पर सीधे दर्ज करवा कर मनरेगा सुविधाओं का बेहतर लाभ उठा रहे हैं।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत श्रमिक परिवारों के पंजीकरण, रोजगार कार्ड निर्माण, रोजगार की मांग, रोजगार पाने, मजदूरी भुगतान, बैंक या डाकघर में खाता खोले जाने आदि के सम्बन्ध में कोई भी समस्या या शिकायत के निराकरण हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है।

हेल्पलाइन के नंबरों पर किसी भी स्थाई फोन या मोबाईल फोन से लम्बी व कितनी भी बार बात करने पर कोई भी शुल्क नहीं लगता है।

नरेगा हेल्पलाइन

1800 180 6606

यह पूर्णत: नि:शुल्क सेवा है। विशेष रूप से सभी मोबाईल कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने ग्राहकों को इस नंबर की सेवाएं मुफ्त में प्रदान करें।

कैसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत

हेल्पलाइन द्वारा नरेगा की सेवाएं सहजता से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सर्वप्रथम मनरेगा हेल्पलाइन नम्बर **1800 180 6606** पर फोन करके अपनी शिकातय दर्ज करवानी होगी तथा शिकायत नंबर, जो कि हेल्पलाइन कर्मियों द्वारा दिए जाते हैं, प्राप्त करने होंगे। इस प्रकार प्राप्त शिकायत नंबरों को सावधानी पूर्वक लिख लेना चाहिए, क्योंकि इन नंबरों से ही दर्ज शिकायत पर की गई कार्यवाही के बारे में आप हेल्पलाइन पर आगे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार में पुलिस सबसे आगे

प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस ने राजस्व विभाग को भी पीछे छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप होने के मामलों में पुलिस विभाग सबसे आगे है। इस साल पहली जनवरी से 24 सितम्बर तक एसीबी ने 228 मामलों में सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा ।

इन नौ माह में सबसे ज्यादा 56 मामले पुलिस विभाग के हैं। एसीबी ने लंबे अर्से बाद इस साल एक आईपीएस अफसर को भी रिश्वत लेते पकड़ा है। अब तक राजस्व विभाग भ्रष्टाचार व ट्रैप के मामलों में अव्वल था। लेकिन इस साल वह दूसरे स्थान पर है, जिसमें 42 कर्मचारी ट्रैप हुए हैं। इस अवधि में पंचायती राज विभाग तीसरे, ऊर्जा विभाग चौथे व मेडिकल विभाग पांचवें स्थान पर रहे हैं, जिनमें क्रमशः 27, 22 और 10 मामलों में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं।

हर साल होती है 16 लाख बच्चों की मौत

बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था 'यूनीसेफ' की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल सोलह लाख बच्चों की मौत विभिन्न कारणों से हो जाती है। विश्व में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सबसे अधिक मौतें भी भारत में हुई हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व में रोजाना पांच वर्ष से कम उम्र के 19 हजार बच्चे मौत के मुंह में समा जाते हैं। भारत का स्थान इस सूची में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मामले में विशाल जनसंख्या के कारण यह संख्या ज्यादा रहेगी, लेकिन भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

पंचायतें अभी नहीं हुई मजबूत

राज्यपाल मार्गेट अल्वा का कहना है कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए पंचायत राज को मजबूत करना जरूरी है। अभी तक राजस्थान में पंचायतों को मात्र चार-पांच विभाग ही स्थानान्तरित किए गए हैं, जबकि 25 विभागों को इस विभाग के तहत देना था।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की ओर से जयपुर में ज्ञान केन्द्र की स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने महिलाओं से कहा कि हमने पंचायत राज में 30 फीसदी आरक्षण प्राप्त कर एक अहम लड़ाई जीती है, लेकिन संसद और विधान सभाओं में यह लड़ाई जीतना अभी बाकी है। महिलाओं के लिए ढेरों मिशन और कमीशन बनने के बावजूद अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को बेहद जरूरी बताया।

पहुंचेगी गांव की महिलाओं तक जानकारी

सरकार की नीति और फैसलों के बारे में सबसे पहले गांव की महिलाओं को जानकारी मिलेगी। इसके लिए मोबाइल, वेब और सामुदायिक रेडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन ने इसकी पहल की है। योजना पर अमल के लिए जयपुर में ज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है।

यह केन्द्र महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक, विधिक व सामाजिक मसलों पर परामर्श देगा। महिलाएं मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकेंगी। राजस्थान में फिलहाल टोंक, डूंगरपुर और अलवर जिलों को इससे जोड़ा गया है।

किसानों को बांटे बर्बादी के बीज

प्रदेश में बाजरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मुफ्त में बांटा गया जेके 686 वैराइटी का बीज घटिया क्वालिटी का पाया गया है। इससे सीकर, झुंझुनूं, चूरू, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक सहित कई जिलों में बाजरे के पौधों की लंबाई डेढ़ से दो फीट रह गई और सिट्टे का आकार जौ की बाली के बराबर रह गया। इन सिट्टों में दाने भी नहीं आए। प्रदेश के करीब 4000 हैक्टेयर में बाजरे के उत्पादन पर इसका बुरा असर पड़ा है।

इससे सरकार की बीज खरीद नीति और क्वालिटी कंट्रोल की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है। मामले में निजी कंपनी के साथ मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। बाजरा बीज ने हजारों किसानों को बर्बाद कर दिया है। मुफ्त बांटे गए बीज खराब निकलने पर किसान उपभोक्ता मंच का भी सहारा नहीं ले सकता।

अब मरीजों की जांचें भी होंगी मुफ्त

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाओं के बाद अब मरीजों की जांचें भी मुफ्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना का एक साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस योजना को संभव बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर परीक्षण कराया जाएगा। सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांचें भी मुफ्त होंगी। निःशुल्क दवाओं की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि निःशुल्क दवा योजना प्रदेश में प्रभावी रूप सें लागू हुई है और मरीजों ने बड़ी संख्या में इसका लाभ उठाया है। बड़ी योजना होने के कारण कहीं-कहीं खामियां भी रही हैं, जिन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दवा वितरण केन्द्रों का कम्प्युटरीकरण किया जाकर हेल्पलाइन सुविधा शुरू की जा रही है।

कुपोषण-जवाबदेह कौन?

सरकार बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाती है, लेकिन उनका सही लाभ बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। आंगनबाड़ी, जननी शिशु सुरक्षा, स्कूलों में मध्याह्न भोजन जैसी कई लाभकारी योजनाओं के माध्यम से बच्चों को पोषाहार दिए जाने की व्यवस्था है।

लेकिन इनमें पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था और जवाबदेही नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नतीजतन बच्चों को जरूरत से कम पौष्टिक आहार मिल पाता है। पोषाहार में सही गुणवत्ता नहीं होने से भी बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से आज भी देश में 42 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आखिर, इस समस्या का समाधान क्या है? क्या प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून से कोई आशा जगती है?

- अंजनी रस्तोगी, अध्यक्ष, अरविन्द महिला विकास क्लब, बदायूं (उ.प्र.)

नसबंदी फेल होने में प्रदेश अव्वल

नसबंदी विफल होने में राजस्थान देश में अव्वल है। प्रदेश में वर्ष 2009 से 2011 तक नसबंदी विफल होने के करीब 4200 दावे सामने आ चुके हैं। नसबंदी के समय या नसबंदी के एक माह बाद के दौरान 26 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इनमें से 3325 दावों का निपटारा किया गया और दस करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है।

सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता यदुनाथ दशानन ने राजस्थान के पिछले तीन सालों के दौरान चुकाए गए मुआवजे के आंकड़े प्राप्त किए, तो यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जनसंख्या विशेषज्ञ डॉ. देवेन्द्र कोठारी का कहना है कि नसबंदी विफलता की यह दर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑपरेशन ढंग से नहीं हो रहे हैं। विभाग अच्छी सेवाएं नहीं दे पा रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए।

पंचायतें चला सकेंगी राशन की दुकान

प्रदेश की ग्राम पंचायत और दुग्ध सेवा सहकारी समितियां भी जल्द ही राशन की दुकानें चला सकेंगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री परसादी लाल मीणा ने जयपुर संभाग के जिला रसद अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसके लिए तैयारी करेगा।

उन्होंने जिला रसद अधिकारियों को कहा है कि उचित मूल्य की दुकानें पूरे माह खुलनी चाहिए। बैठक में जांच में बन्द मिली 78 राशन दुकानों के लाइसेंस निलम्बित किए गए।

बने उपभोक्ता संरक्षण के नियम

करीब 10 साल पहले केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन किया था। इसके बाद राज्य सरकार को इसके नियम बनाने थे। यह नियम अब जाकर बन पाए हैं। लेकिन इन्हें लागू नहीं किया है। सिर्फ इनका मसौदा तैयार कर, जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया गया है।

प्रारूप में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या 56 से घटा कर 50 कर दी गई है। इसमें भी दस सदस्य केन्द्र सरकार मनोनीत करेगी। उम्मीद की जाती है कि नियम जल्द ही जारी होंगे। इससे अब राज्य व जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का नए सिरे से गठन होगा और उपभोक्ता मंचों में खाली पदों पर नियुक्तियां हो सकेंगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर